

स्वच्छ नगर
पोलीथीन हटाएं

कृषि/पशु/कृषि/पशु
उत्पादन

स्वच्छ भारत
पर्यावरण विचारें

नगर निगम रुद्रपुर

नगर निगम रुद्रपुर

उधम सिंह नगर
(उत्तराखण्ड)

व्यवसायिक सम्पत्ति-स्वकर निर्धारण प्रपत्र



सम्पत्ति स्वामी /अध्यासी का नाम.....

पिता/पति का नाम.....

सम्पत्ति संख्या C/.....

मोहल्ले का नाम.....

मोबाईल नं0.....

नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर, उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)
फोन : 05944-242400

श्रीन सिटी

व्यवसायिक सम्पत्ति
उदाहरण

क्लीन सिटी

ऐसे करें कर का ऑकलन

वार्ड का नाम : मुख्य बाजार क्षेत्र

वार्ड सं. 11

1. भवन का आच्छादित क्षेत्रफल : 100 वर्ग फुट
2. भवन या भूमि अवस्थित है : 12 मी. से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर
3. भवन निर्माण की प्रकृति : पक्का भवन, आर.सी.सी. छत
या आर.बी. छत सहित
4. भवन निर्माण का वर्ष : 2014
5. भवन की श्रेणी : दुकान/ढाबा/स्टॉल
6. नगर आयुक्त द्वारा आवासिक भवन हेतु
नियत किराया की मासिक दर ₹ = 1.10
7. नियमावली द्वारा विहित आवासिक
भवन की दर के संबंध में गुणक : दो गुना
8. भवन हेतु प्राप्त किराये की मासिक दर : $1.10 \times 2 = 2.20$
9. भवन का आच्छादित क्षेत्रफल : 100 वर्ग फुट
10. भवन का वार्षिक मूल्य : $2.20 \times 100 \times 12 = 2640$

स्वच्छ नगर

सुन्दर नगर

प्रपत्र - ग

अनावासिक भवनों के सम्बंध में सम्पत्ति कर स्व निर्धारण प्रपत्र

1. स्वामी/अध्यासी का विवरण :-

- (1) स्वामी / अध्यासी का नाम.....
- (2) स्वामी / अध्यासी के पिता/पति का नाम.....
- (3) भवन /मकान/ भूखण्ड संख्या और अवस्थिति का पता.....
- (4) स्वामी / अध्यासी के निवास का पता.....
- (5) अन्य विवरण, यदि कोई हो.....
- (6) मोबाईल नं (1).....(2).....

2. भवन या भूमि सम्बंधी ब्यौरा

- (1) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में)
- (2) खुली भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में).....
- (3) अन्य विवरण यदि कोई हो.....

3. अवस्थिति का विवरण-

(क) भवन या भूमि अवस्थित है-

- (1) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (2) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (3) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर

(ख) भवन के निर्माण की प्रकृति-

- (1) पक्का भवन, आर.सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित
- (2) अन्य पक्का भवन, अस्वेस्टोज, फाईबर या टीनशेड
- (3) कच्चे भवन अर्थात समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं है।

टिप्पणी :- कृपया प्रयोज्य खाने में सही निशान लगायें।

4. भवन का निर्माण वर्ष.....

5. पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारण वर्ष

6. वार्षिक मूल्य की गणना

क) अनावासिक भवन की श्रेणी का प्रकार (पृष्ठ 6 देखें)

- (1) नगर आयुक्त द्वारा आवासिक भवन हेतु नियत किराया की मासिक दर
- (2) नियमावली द्वारा विहित आवासिक भवन की दर के संबंध में गुणक
- (3) भवन हेतु प्राप्त किराये का मासिक दर (एक) X (दो)
- (4) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल
- (5) भवन का वार्षिक मूल्य = किराये का मासिक दर X आच्छादित क्षेत्रफल X 12 [(तीन) X (चार) X 12] =

(ख) भूमि का वार्षिक मूल्य :-

- (1) नगर आयुक्त द्वारा आवासिक भूमि हेतु नियत किराया की मासिक दर
- (2) नियमावली द्वारा विहित आवासिक भूमि की दर के संबंध में गुणक
- (3) भूमि (एक) X (दो) के लिए प्राप्त किराये की मासिक दर
- (4) भूमि का क्षेत्रफल
- (5) भूमि का वार्षिक मूल्य = किराये की मासिक दर X भूमि का क्षेत्रफल X 12 [(तीन) X (चार) X 12]

(ग) कुल वार्षिक मूल्य = क (पांच) + ख (पांच)

(घ) यदि किरायेदार हैं तो उगका नाम-

1. 2.
4. 5.

7. कर की गणना (भवन कर) = वार्षिक मूल्य (ग) का 10%

8. जमा किये गये कर का विवरण -

क्र. सं.	कर का नाम	कर की घनराशि	चालान/प्राप्ति सं०	दिनांक	बैंक / कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6

मैंवार्ड नं०के मोहल्ला.....में स्थित भवन सं.....का स्वामी/अध्यासी एतद्वारा घोषित करता हूं कि इस प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक और पूर्ण हैं। उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात को न तो छिपाया गया है और न ही मिथ्या उल्लिखित किया गया है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

संलग्नक :- 1. खतौनी, विक्रय पत्र, दान पत्र, पट्टाभिलेख, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र/ उत्तरजीवी प्रमाण पत्र
2. विहित प्राधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृत मानचित्र की छाया प्रति आदि।
3. आधार कार्ड, शपथ-पत्र, बिजली-पानी का बिल, नगर निगम की टैक्स हाउस रसीद।

टिप्पणी : 1. भरे गये प्रपत्रों की जांच में यदि विवरण सही नहीं पाया गया तो नगरनिगम अधिनियम के अनुसार दण्ड देय होगा।
2. उक्त कर निर्धारण से भूमि का मालिकाना हक अप्रभावित रहेगा।

प्रपत्र - घ

अनावासिक भवनों के सम्बंध में सम्पत्ति कर स्व निर्धारण प्रपत्र

1. स्वामी/अध्यासी का विवरण :-

- (1) स्वामी / अध्यासी का नाम.....
- (2) स्वामी / अध्यासी के पिता/पति का नाम.....
- (3) भवन /मकान/ भूखण्ड संख्या और अवस्थिति का पता.....
- (4) स्वामी / अध्यासी के निवास का पता.....
- (5) अन्य विवरण, यदि कोई हो.....
- (6) मोबाईल नं (1).....(2).....

2. भवन या भूमि विवरण

- (1) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में)
- (2) खुली भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में).....
- (3) अन्य विवरण यदि कोई हो.....

3. अवस्थिति का विवरण-

(क) भवन या भूमि अवस्थित है-

- (1) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (2) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (3) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर

☐
☐
☐

(ख) भवन के निर्माण की प्रकृति-

- (1) पक्का भवन, आर.सी.सी. छत या आर.बी. छत सहित
- (2) अन्य पक्का भवन, अस्वेस्टोज, फाईबर या टीनशेड
- (3) कच्चे भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं है।

☐
☐
☐

टिप्पणी :- कृपया प्रयोज्य स्थानों में सही निशान लगायें।

4. भवन का निर्माण वर्ष.....

5. पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारण वर्ष

सत्यापन

मैंवार्ड नं०के

मोहल्ला.....में स्थित भवन सं.....का

स्वामी/अध्यासी एतद्वारा घोषित करता हूँ कि इस प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक और पूर्ण हैं। उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात को न तो छिपाया गया है और न ही मिथ्या उल्लिखित किया गया है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

अनावासिक भवनों और भूमि की स्थिति में आच्छादित क्षेत्रफल और भूमि का प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराये की दर उप नियम (1) के अधीन नियत किराये की मासिक दर का गुणक होगा जैसा कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित है-

क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की मासिक किराये की दर
1.	(क) होटल पेईंग गेस्ट हाउस 10 कमरों तक (बगैर वातानुकूलित) (ख) होटल 10 कमरों से अधिक (बगैर वातानुकूलित) (ग) समस्त होटल/पेईंग गेस्ट हाउस (वातानुकूलित) 3 स्टार सुविधा तक (घ) होटल 4 स्टार और ऊपर वाले, बार पब, रेस्टोरेन्ट मयवार और क्लब मयवार (ङ) धर्मार्थ धर्मशाला/आश्रम/होटल जहां प्रति कमरा किराया दर रु0 200/- प्रतिदिन या अधिक या जो व्यवसायिक दशों पर विद्युत का उपयोग कर रहे हो।	उपनियम 1 के अधीन दर का तीन गुना उपनियम 1 के अधीन दर का चार गुना उपनियम 1 के अधीन दर का पांच गुना उपनियम 1 के अधीन दर का छः गुना उपनियम 1 के अधीन दर का तीन गुना
2.	मॉल्स	उपनियम 1 के अधीन दर का छः गुना
3.	सभी प्रकार के वाणिज्यिक भवन, शो रूम, बैंक कार्यालय, कोचिंग एवं प्रशिक्षण संस्थान, ए.टी.एम.।	उपनियम 1 के अधीन दर का पांच गुना
4.	दुकाने/ढ़ाबा/स्टॉल (क) 100 वर्गफीट तक (ख) 100 वर्गफीट से 200 वर्गफीट तक (ग) 200 वर्गफीट से 500 वर्गफीट तक (घ) 500 वर्गफीट से अधिक (ङ) पूर्णतः आवश्यक सेवायें व्यवसाय सम्बन्धी स्टॉल (दूध, सब्जी-फल, नाई, मोची, साईकिल रिक्शा/टूकीलर मैकेनिक)	उपनियम 1 के अधीन दर का दो गुना उपनियम 1 के अधीन दर का तीन गुना उपनियम 1 के अधीन दर का चार गुना उपनियम 1 के अधीन दर का पांच गुना उपनियम 1 के अधीन दर का 1.1 गुना
5.	(क) क्लीनिक (केवल चिकित्सीय परामर्श हेतु उपयोगी) (ख) अस्पताल/नर्सिंग होम, पॉलीक्लीनिक, डाईग्नोस्टिक सेन्टर, मेडिकल स्टोर, प्रयोगशालायें, स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र आदि।	उपनियम 1 के अधीन दर का दो गुना उपनियम 1 के अधीन दर का तीन गुना
6.	क्रीडा केन्द्र जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र, फिटनेस केन्द्र, मनोरंजन केन्द्र, थियेटर और सिनेमा केन्द्र	उपनियम 1 के अधीन दर का दो गुना
7.	(क) बिना छात्रावास सुविधा वाले स्कूलों कालेजों एवं शिक्षा केन्द्रों के भवन (सिवाय राज्य सरकार के स्वामित्व वाले) (ख) छात्रावास सुविधा वाले स्कूलों कालेजों एवं शिक्षा केन्द्रों के भवन (सिवाय राज्य सरकार के स्वामित्व वाले)	उपनियम 1 के अधीन दर का एक गुना उपनियम 1 के अधीन दर का दो गुना
8.	पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डीपो।	उपनियम 1 के अधीन दर का दो गुना
9.	सामुदायिक भवन, विवाहघर, वेडिंग प्वाइंट, कल्याण मण्डप, वेयर हाउस, गोदाम क्लब आदि।	उपनियम 1 के अधीन दर का तीन गुना
10.	भवन मय मोबाईल टावर, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के वैसे सभी प्रतिष्ठान और उपक्रम जो वाणिज्यिक, व्यवसायिक, वित्तीय गतिविधियों में संलग्न है।	उपनियम 1 के अधीन दर का तीन गुना
11.	औद्योगिक इकाईयां (क) लघु (ख) मध्यम (ग) वृहद	उपनियम 1 के अधीन दर का दो गुना उपनियम 1 के अधीन दर का तीन गुना उपनियम 1 के अधीन दर का पांच गुना
12.	समस्त प्रकार के अनावासिक भवन जो उपरोक्त श्रेणियों के अन्तर्गत न आते हो।	उपनियम 1 के अधीन दर का तीन गुना

नोट -

- (क) पेट्रोल पम्प की जो भूमिगत क्षेत्र या संरचना भूमिगत स्टोरेज के लिए उपयोग की जाती है, कारपेट एरिया की गणना के लिए जोड़ी जायेगी।
(ख) संचार/मोबाईल टावर और उसकी सहायक मशीनों के द्वारा आच्छादित किसी प्रकार के क्षेत्र को सम्पत्ति कर की गणना के लिए कारपेट एरिया माना जायेगा।

प्राप्ति रसीद

- (1) स्वामी / अध्यासी का नाम.....
- (2) स्वामी / अध्यासी के पिता/पति का नाम.....
- (3) भवन / भूखण्ड संख्या.....
- (4) मोहल्ले का नाम.....

उपरोक्त व्यवसायिक सम्पत्ति का स्व कर निर्धारण प्रपत्र 'ग' व 'घ' भर कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

हस्ताक्षर भवन स्वामी

प्रपत्र को प्राप्ति रजिस्टर के क्रमांक सं० पर दर्ज कर प्राप्ति रसीद दी जा रही है।

दिनांक.....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

प्राप्ति रसीद

- (1) स्वामी / अध्यासी का नाम.....
- (2) स्वामी / अध्यासी के पिता/पति का नाम.....
- (3) भवन / भूखण्ड संख्या.....
- (4) मोहल्ले का नाम.....

उपरोक्त व्यवसायिक सम्पत्ति का स्व कर निर्धारण प्रपत्र 'ग' व 'घ' भर कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

हस्ताक्षर भवन स्वामी

प्रपत्र को प्राप्ति रजिस्टर के क्रमांक सं० पर दर्ज कर प्राप्ति रसीद दी जा रही है।

दिनांक.....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

कृपया करें का भुगतान समय पर करें।

आवासीय/अनावासीय भवनों के नामान्तरण से सम्बन्धित जानकारी :-
(विरासतन/विक्रय पत्र आदि)

1. आवेदक / आवेदकों का प्रार्थना पत्र ।
2. आवेदक / आवेदकों का पहचान पत्र / आधार पत्र आदि।
3. पारिवारिक घर बटवारा / विक्रय पत्र / दान नाम आदि।
4. उत्तर जीवी प्रमाण पत्र/पारिवारिक सदस्यता पत्र।
5. आवेदकों का शपथ पत्र व अन्य वारिसानों का अनापत्ति पत्र।
6. मृतक भवन स्वामी का मृत्यु प्रमाण पत्र।
7. बिल जमा की रसीद।

अन्य जानकारी के लिए नगर निगम कर अनुभाग से सम्पर्क कर सकते हैं।

निर्धारित दर समस्त वार्डों के लिए सामान्य कर (गृहकर) कारपेट एरिया दर प्रतिवर्ग फुट प्रति माह

क्र.सं.	वार्ड का नाम	पक्का पक्कान आर.सी.सी./आर.बी.फ्ल्ट			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय गूखण्ड जिसमें भवन न बना हो।		
		12 मी० से कम चौड़ी सड़क	12 मी० से 24 मी० चौड़ी सड़क	24 मी० से अधिक चौड़ी सड़क	12 मी० से कम चौड़ी सड़क	12 मी० से 24 मी० चौड़ी सड़क	24 मी० से अधिक चौड़ी सड़क	12 मी० से कम चौड़ी सड़क	12 मी० से 24 मी० चौड़ी सड़क	24 मी० से अधिक चौड़ी सड़क	12 मी० से कम चौड़ी सड़क	12 मी० से 24 मी० चौड़ी सड़क	24 मी० से अधिक चौड़ी सड़क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A	1.10	1.25	1.50	0.90	1.00	1.10	0.75	0.85	1.00	0.60	0.70	0.80
	भगत सिंह												
	मुख्य बाजार												
	डी.1, डी.2												
	आवास विकास प०												
	इण्डस्ट्रीयल एरिया												
	गोल मार्केट												
	घास मण्डी मेन रोड												
	सीर गौटिया मेन रोड												
	गल्ला मण्डी												
2	A-1	0.90	1.10	1.25	0.80	0.90	1.00	0.40	0.50	0.60	0.25	0.40	0.50
	एस० आर० ए० पूर्वी												
	प० कल्याणी व्यू												
	आवास विकास पूर्वी												
3	B	0.70	0.80	0.90	0.60	0.70	0.80	0.40	0.50	0.60	0.30	0.35	0.40
	गांधी कालोनी												
	आदर्श कालोनी												
	इन्द्रा कालोनी												
	अतिरिक्त सुभाष कालोनी												
	आदर्श इन्द्रा कालोनी												
	दरिया नगर												
	सीर गौटिया बस्ती												
	रविन्द्र नगर												
	घास मण्डी												

क्र. सं.	वार्ड का नाम	पक्का मकान आर.सी.सी./आर.बी छत			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमें भवन न. बना हो।		
		12 मी० से कम चौड़ी सड़क	12 मी० से 24 मी० चौड़ी सड़क	24 मी० से अधिक चौड़ी सड़क	12 मी० से कम चौड़ी सड़क	12 मी० से 24 मी० चौड़ी सड़क	24 मी० से अधिक चौड़ी सड़क	12 मी० से कम चौड़ी सड़क	12 मी० से 24 मी० चौड़ी सड़क	24 मी० से अधिक चौड़ी सड़क	12 मी० से कम चौड़ी सड़क	12 मी० से 24 मी० चौड़ी सड़क	24 मी० से अधिक चौड़ी सड़क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	C	0.70	0.75	0.85	0.50	0.65	0.70	0.40	0.50	0.60	0.25	0.30	0.50
	खेड़ा नया												
	सुभाष कालोनी												
	ट्रेनिंग सेन्टर												
	नवोदय विद्यालय												
	भूत बंगला												
	ट्रांजिट कैम्प/जगतपुरा												
	पहाड़गंज												
	दूधिया नगर												
5	D	0.60	0.65	0.75	0.50	0.65	0.70	0.40	0.50	0.60	0.25	0.35	0.50
	खेड़ा पुराना												
	संजय नगर												
	भदईपुरा												
	रम्पुरा पूर्वी, प०, मध्य												
6	D 1	0.50	0.55	0.60	0.50	0.65	0.70	0.40	0.50	0.60	0.25	0.35	0.50
	शिव नगर												

हस्ताक्षर-

नगर आयुक्त
नगर निगम, रुद्रपुर,
ऊधम सिंह नगर

हस्ताक्षर-

मेयर
नगर निगम, रुद्रपुर,
ऊधम सिंह नगर